

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 52/2024-25
नई दिल्ली, दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषय: प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी-2023) के परिशिष्ट-4अ में संशोधन।

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के परिशिष्ट-4अ में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

“परिशिष्ट-4अ में क्रम संख्या 13 (किसी भी रुप में अखरोट) प्रविष्टि को हटा दिया गया है।”

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: व्यापार में सुगमता हेतु परिशिष्ट- 4अ से ‘किसी भी रुप में अखरोट’ मद को हटा दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
27.3.2025
(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/075/एएम24/पीसी-4 से जारी)